

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 14 अगस्त, 2015
श्रावण 23, 1937 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश सरकार
गृह(पुलिस)अनुभाग-2

संख्या-1447 / छः-पु०-2-2015-1100(2)-2015
लखनऊ 14 अगस्त, 2015

अधिसूचना

सा०प०नि०-46

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या-5, सन् 1861) की धारा-2 के साथ पठित धारा-46 की उपधारा-(2) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग और इस निमित्त निर्गत सभी विद्यमान शासनादेशों का अधिकमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के आरक्षी चालक, मुख्य आरक्षी चालक, मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन, उप निरीक्षक मोटर परिवहन तथा निरीक्षक मोटर परिवहन के रूप में परिवहन शाखा में कार्यरत आरक्षी के चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता का अवधारण और स्थाईकरण आदि को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015

भाग-एक-सामान्य

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 कही जायेगी।
(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
- सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ सेवा में, नियम-3 के खण्ड (क) में नीचे वर्णित समूह "ग" के पद सम्मिलित हैं।

परिभाषायें 3.

जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,—

- (क) “नियुक्ति प्राधिकारी” का तात्पर्य आरक्षी चालक, मुख्य आरक्षी चालक व मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के संबंध में सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक एवं उप निरीक्षक मोटर परिवहन व निरीक्षक मोटर परिवहन के संबंध में पुलिस उपमहानिरीक्षक से है;
- (ख) “बोर्ड” का तात्पर्य शासनादेश संख्या 1256/6-पु0-10-2008-27(7)/08 दिनांक 02 दिसम्बर, 2008 के अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड से है;
- (ग) “संविधान” का तात्पर्य भारत का संविधान से है;
- (घ) “भारत का नागरिक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक समझा जाये;
- (ङ) “राज्यपाल” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;
- (च) “विभागाध्यक्ष” का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से है;
- (छ) “सेवा का सदस्य” का तात्पर्य इस नियमावली या नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति से है;
- (ज) “पुलिस मुख्यालय” का तात्पर्य मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से है;
- (झ) “सेवा” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा अधीनस्थ अधिकारी सेवा से है;
- (ञ) “चयन समिति” का तात्पर्य सेवा में किसी पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिये बोर्ड द्वारा गठित चयन समिति से है;
- (ट) “मौलिक नियुक्ति” का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हों तो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो;
- (ठ) “तकनीकी सेवा” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ से है;
- (ड) “भर्ती का वर्ष” का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग—दो—संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये।
(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या, जब तक कि उप नियम (1) के अधीन उसे परिवर्तित करने का आदेश पारित न हो, निम्नवत् होगी:-

पद का नाम	स्वीकृत नियतन
आरक्षी चालक	9126
मुख्य आरक्षी चालक	1098
मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन	283
उप निरीक्षक मोटर परिवहन	99
निरीक्षक मोटर परिवहन	09

परन्तु यह कि -

- एक) विभागाध्यक्ष कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न शाखाओं के पदों की संख्या को पुनर्निर्धारित कर सकते हैं,
दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा;
तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग—तीन—भर्ती हेतु पात्रता

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-
- (क) **आरक्षी चालक**— आरक्षी चालक के शत-प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पी0ए0सी0 से भरे जायेंगे जो निम्न पात्रता शर्तें पूर्ण करते हों :-
- (1) चयन वर्ष के प्रथम दिवस को 32 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हों।
 - (2) अच्छे स्वास्थ्य का हो और बगैर चश्मे या सहायता के आंखों की दृष्टि 6/6 हो।
 - (3) पूर्व में आरक्षी चालक के पद से प्रत्यावर्तित न हुआ हो।
 - (4) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत भारी तथा हल्के वाहनों का ड्राइविंग लाइसेंस धारक होना अनिवार्य है।
 - (5) भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को तीन वर्ष की सेवा (प्रशिक्षण केन्द्र में किये गये प्रशिक्षण की अवधि को छोड़कर) पूर्ण कर ली हो।
 - (6) विगत पांच वर्षों की अवधि में :-
(एक) सत्यनिष्ठा रोकी न गई हो; या
(दो). कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो; या
(तीन) दो या उससे अधिक लघु दण्ड न मिले हों।
 - (7) विगत तीन वर्षों की अवधि में—
(एक) कोई लघु दण्ड न मिला हो; या
(दो). दो या उससे अधिक छोटे दण्ड न मिले हों; या
(तीन) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो।
- (ख) **मुख्य आरक्षी चालक**— मुख्य आरक्षी चालक की शत प्रतिशत रिक्तियाँ अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ऐसे आरक्षी चालकों में से भरी जायेंगी जो आरक्षी चालक के रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।

- (ग) **मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन**— मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन की शत-प्रतिशत रिक्तियां बोर्ड द्वारा परिशिष्ट में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार चयन द्वारा ऐसे आरक्षी चालकों एवं मुख्य आरक्षी चालकों में से भरी जायेंगी, जो निम्न पात्रताएं पूरी करते हों :-
 (एक). भर्ती वर्ष के प्रथम **दिवस** को पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों।
 (दो). वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में असफल न पाये गये हों।
 (तीन). विगत पांच वर्षों की अवधि में—
 क) सत्यनिष्ठा रोकी न गई हो; या
 ख) कोई दीर्घ दण्ड न मिला हो; या
 ग) दो या उससे अधिक लघु दण्ड न मिले हों।
 (चार) विगत तीन वर्षों की अवधि में—
 क) कोई लघु दण्ड न मिला हो; या
 ख) दो या उससे अधिक छोटे दण्ड न मिले हों; या
 ग) कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न मिली हो।
- (घ) **उप निरीक्षक मोटर परिवहन**— उप निरीक्षक मोटर परिवहन की शत-प्रतिशत रिक्तियां अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ऐसे मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन में से भरी जायेंगी जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों, वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में अनर्ह न हुए हों और एडवान्स्ड मैकेनिक कोर्स उत्तीर्ण कर ली हों।
- (ङ). **निरीक्षक मोटर परिवहन**— निरीक्षक मोटर परिवहन की शत-प्रतिशत रिक्तियां अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति द्वारा ऐसे उप निरीक्षक मोटर परिवहन में से भरी जायेंगी जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम **दिवस** को दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हों तथा वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण में अनर्ह न पाये गये हों।

भाग—चार—भर्ती की प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण

रिक्तियों का
अवधारण और
चयन
समितियों का
गठन
आरक्षी चालक
के चयन की
प्रक्रिया

6. नियुक्ति प्राधिकारी, भर्ती के वर्ष में होने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेंगे और उसकी सूचना पुलिस मुख्यालय को देंगे। पुलिस मुख्यालय द्वारा रिक्तियों की संख्या विभागाध्यक्ष के माध्यम से बोर्ड को सूचित की जायेगी। बोर्ड द्वारा सम्बन्धित पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु चयन समितियां गठित की जायेंगी।
7. **आरक्षी चालक का चयन**
 आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पी0ए0सी0 में से आरक्षी चालक का चयन, बोर्ड द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा :-
 (क) **आवेदन पत्र :-**
 तकनीकी सेवा, विभागीय परिपत्र के माध्यम से, समस्त जनपदों और इकाईयों से नियम-5(क) में उल्लिखित पात्रताओं के अनुसार **आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी सशस्त्र पुलिस एवं आरक्षी पी0ए0सी0** से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। यह सूचना पुलिस की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की जायेगी।
 (ख) **बुलावा पत्र :-**
 तकनीकी सेवा द्वारा प्राप्त आवेदनों का सूक्ष्म परीक्षण किये जाने के पश्चात्, त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा और संबंधित अभ्यर्थियों को उचित माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा और पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु संबंधित जनपद, इकाई और पी0ए0सी0 वाहिनी के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से सूचना भेजी जायेगी। तकनीकी सेवा द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभागाध्यक्ष के माध्यम से बोर्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।
 (ग) **चालन दक्षता परीक्षा :-**
 पात्र अभ्यर्थियों से बोर्ड के समक्ष चालन दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। चालन दक्षता परीक्षा विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जायेगी।

(घ) अन्तिम चयन सूची :-

बोर्ड द्वारा चालन दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की सूची उनकी योग्यता के अनुसार जारी की जायेगी। ज्येष्ठता का निर्धारण निम्नलिखित रीति से किया जायेगा,—

(एक) एक संवर्ग के अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके मौलिक पद की ज्येष्ठता के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(दो) भिन्न संवर्गों के अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता का अवधारण इस प्रकार किया जायेगा कि पूर्ववर्ती चयन के अभ्यर्थी को पश्चात्वर्ती चयन के अभ्यर्थियों से ज्येष्ठ माना जायेगा।

(तीन) अलग-अलग संवर्गों के दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की मौलिक नियुक्ति की तिथि समान होने पर उनकी ज्येष्ठता उनकी जन्म तिथि के अनुसार अवधारित की जायेगी। यदि नियुक्ति की तिथि व जन्म तिथि समान होती है तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उनके नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार ज्येष्ठता का अवधारण किया जायेगा।

बोर्ड द्वारा उपर्युक्तानुसार तैयार की गयी ज्येष्ठता सूची विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त पुलिस वेबसाइट पर प्रकाशित व सूचनापट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(ङ) स्वास्थ्य परीक्षण :-

स्वास्थ्य परीक्षण में सफल होना अनिवार्य होगा।

प्रशिक्षण

8. चालक पाठ्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा यथा अवधारित ज्येष्ठताक्रम के अनुसार पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रशिक्षण में भेजा जायेगा। ऐसे चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा यथा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। तकनीकी सेवा द्वारा प्रशिक्षण में सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी तथा उसे पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रशिक्षण में सफल घोषित अभ्यर्थियों को आरक्षी चालक के कर्तव्य हेतु आदेश निर्गत किये जायेंगे। प्रशिक्षण में असफल घोषित ऐसे चयनित अभ्यर्थियों को उनके मूल संवर्ग में वापस कर दिया जायेगा।

मुख्य आरक्षी चालक पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया

9. मुख्य आरक्षी चालक के शत-प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ऐसे आरक्षी चालकों में से भरे जायेंगे जो नियम-5(ख) में यथा उल्लिखित पात्रता शर्तें पूर्ण करते हों। तकनीकी सेवा द्वारा ऐसे आरक्षी चालकों की निर्विवादित ज्येष्ठता सूची बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी जो विहित पात्रता पूर्ण करते हों। बोर्ड, पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उसे विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायेगा। विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त नियुक्ति प्राधिकारी, मुख्य आरक्षी चालक के पदों के लिए पदोन्नति आदेश निर्गत करेंगे।

मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया

10. मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के शत-प्रतिशत पद विभागीय परीक्षा के माध्यम से बोर्ड द्वारा ऐसे आरक्षी चालकों एवं मुख्य आरक्षी चालकों में से भरे जायेंगे जो नियम-5(ग) में यथा उल्लिखित अर्हता शर्तें पूर्ण करते हों।

प्रक्रिया :-

राज्य स्तर पर मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन की रिक्तियों तकनीकी सेवा द्वारा बोर्ड को उपलब्ध कराई जायेंगी।

बोर्ड द्वारा मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन का चयन निम्नलिखित रीति से किया जायेगा :-

(क) आवेदन-पत्र :-

तकनीकी सेवा परिपत्र के माध्यम से समस्त ऐसे जनपदों, इकाईयों और पीएसी वाहिनियों के आरक्षी चालकों और मुख्य आरक्षी चालकों से आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा, जो नियम-5(ग) में यथा उल्लिखित पात्रता शर्तें पूर्ण करते हों।

(ख) बुलावा पत्र :

तकनीकी सेवा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का सूक्ष्म परीक्षण किये जाने के पश्चात् त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जायेगा और सम्बन्धित अभ्यर्थियों को उचित माध्यम से सूचित कर दिया जायेगा और पात्र अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु उनके जनपद, इकाई एवं पी0ए0सी0 वाहिनी के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से सूचना भेजी जायेगी। तकनीकी सेवा द्वारा पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभागाध्यक्ष के माध्यम से बोर्ड को उपलब्ध कराई जायेगी।

विभागीय परीक्षा :

(ग) परिशिष्ट में विहित प्रक्रिया के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों से विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी।

सेवाभिलेख :

(घ) बोर्ड द्वारा परिशिष्ट में यथा विहित सेवाभिलेखों के आंकलन के आधार पर अंक प्रदान किये जायेंगे।

अन्तिम चयन सूची :-

(ङ.) बोर्ड द्वारा परिशिष्ट में यथा विहित योग्यताक्रम में चयन सूची तैयार की जायेगी।

स्वास्थ्य परीक्षण :-

(च) स्वास्थ्य परीक्षण में सफल होना अनिवार्य होगा।

प्रशिक्षण

11. बोर्ड द्वारा मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पाठ्यक्रम हेतु चयनित अभ्यर्थियों की योग्यता सूची विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा यथा निर्धारित प्रशिक्षण एवं एडवांस मैकेनिक कोर्स (यदि पूर्व में न किया हो) सफलतापूर्वक पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। तकनीकी सेवा द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर प्रशिक्षण में सफल अभ्यर्थियों की सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रशिक्षण में सफल घोषित अभ्यर्थियों को मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के रूप में कार्यभार ग्रहण करने हेतु आदेश निर्गत किया जायेगा। ऐसे चयनित अभ्यर्थियों जो प्रशिक्षण में असफल घोषित हों, को उनके पूर्व पद पर वापस कर दिया जायेगा।

उप निरीक्षक मोटर परिवहन के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया

12. उप निरीक्षक मोटर परिवहन के शत-प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ऐसे मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन से भरे जायेंगे जो नियम-5(घ) में यथा उल्लिखित पात्रता शर्तें पूर्ण करते हों। तकनीकी सेवा द्वारा ऐसे मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन की निर्विवादित ज्येष्ठता सूची बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी। बोर्ड द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी। विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त पुलिस उपमहानिरीक्षक(स्थापना), उप निरीक्षक मोटर परिवहन के पद पर पदोन्नति के लिए अन्तिम आदेश निर्गत करेंगे।

- निरीक्षक मोटर परिवहन के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया** 13. निरीक्षक मोटर परिवहन के शत-प्रतिशत पद अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ऐसे उप निरीक्षक मोटर परिवहन में से भरे जायेंगे जो नियम-5(ड.) में यथा उल्लिखित पात्रता शर्तों को पूर्ण करते हों। तकनीकी सेवा द्वारा ऐसे उप निरीक्षक मोटर परिवहन की निर्विवादित ज्येष्ठता सूची बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी। बोर्ड द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की सूची विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी। विभागाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त पुलिस उपमहानिरीक्षक(स्थापना), निरीक्षक मोटर परिवहन के पद पर पदोन्नति के लिए अन्तिम आदेश निर्गत करेंगे।

भाग-पांच-प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थाईकरण, ज्येष्ठता एवं प्रत्यावर्तन

- प्रशिक्षण** 14. परिवीक्षा अवधि के दौरान, परिवीक्षाधीन व्यक्ति से विभागाध्यक्ष द्वारा यथा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी।
ऐसे आरक्षी चालकों एवं मुख्य आरक्षी चालकों, जिन्होंने एडवांस मैकेनिक कोर्स नहीं उत्तीर्ण किया है, द्वारा ज्येष्ठताक्रम में आरक्षी चालक के रूप में नियुक्ति के दिनांक से 06 वर्ष के भीतर **एडवांस मैकेनिक कोर्स अनिवार्यतः** पूर्ण करा लिया जाय। ज्येष्ठताक्रम में उन्हें उक्त कोर्स के लिये, जो वर्ष में दो बार आयोजित होगा, भेजा जायेगा। तकनीकी सेवा इस कोर्स को कराना सुनिश्चित करेगा।
- परिवीक्षा** 15. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।
(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाये:
परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों में, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।
(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
(5) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

- स्थायीकरण** 16. (1) उप नियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि :
- (क) उसने सफलतापूर्वक विहित प्रशिक्षण प्राप्त कर ली हो ;
 (ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय ; और
 (ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय ।
- (2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उक्त नियमावली के नियम-5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश को, कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा ।
- ज्येष्ठता** 17. सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार इस प्रतिबन्ध के साथ अवधारित की जायेगी कि किसी पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से ज्येष्ठ होगा । एक चयन के अन्तर्गत चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता बोर्ड द्वारा जारी चयन सूची के अनुसार अवधारित की जायेगी ।
- एक चयन में चयनित मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन की ज्येष्ठता बोर्ड द्वारा जारी चयन सूची के आधार पर अवधारित की जायेगी । परन्तु पूर्ववर्ती चयन का मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन पश्चात्वर्ती चयन में नियुक्त मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन से ज्येष्ठ होगा ।
- यदि किसी पद पर हुई भर्ती के सम्बन्ध में कोई सूची उपलब्ध नहीं है तो उस पद पर उस चयन के माध्यम से नियुक्त कर्मियों की ज्येष्ठता उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अवधारित की जायेगी । कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान होने की दशा में उनकी जन्मतिथि के आधार पर अवधारित की जायेगी । उपरोक्त दोनों तिथियाँ समान होने की दशा में हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में उल्लिखित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम के अनुसार होगी ।
- आरक्षी चालक का प्रत्यावर्तन** 18. नियुक्त प्राधिकारी आरक्षी चालक के पद पर नियुक्त किसी व्यक्ति को मोटर परिवहन शाखा के कार्य के लिए स्वास्थ्य, विकलांगता के आधार पर, ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त होने के कारण अनुपयुक्त पाये जाने पर, पुलिस महानिरीक्षक (स्थापना) के अनुमोदनोपरान्त उसे मूल संवर्ग में वापस कर सकता है । इस प्रकार प्रत्यावर्तित किये गये व्यक्ति को उसके मूल संवर्ग में उसकी पूर्व की ज्येष्ठता के अनुसार समायोजित किया जायेगा । यह कार्यवाही संबंधित कर्मों के विरुद्ध प्रचलित विभागीय अथवा आपराधिक कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी ।

भाग-छ:-वेतन, भत्ते आदि

- वेतनमान/भत्ते** 19. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय ।

इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नवत हैं :-

क्र०	पद	वेतनमान	ग्रेड पे
1	निरीक्षक मोटर परिवहन	9300-34800	4600
2	उपनिरीक्षक मोटर परिवहन	9300-34800	4200
3	मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन	5200-20200	2400
4	मुख्य आरक्षी चालक	5200-20200	2400
5	आरक्षी चालक	5200-20200	2000

उक्त के अतिरिक्त सेवा के सदस्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत भत्ते पाने के हकदार होंगे ।

- पक्ष समर्थन** 20. सेवा के किसी पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं अन्य सिफारिशों पर चाहे लिखित हों या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

भाग—सात—प्रकीर्ण उपबन्ध

- अन्य विषयों का विनियमन** 21. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति पुलिस अधिनियम के अधीन बनाये गये विभिन्न नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।
- सेवा की शर्तों में शिथिलता** 22. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक् कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।
- सेवाकाल के दौरान वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण** 23. प्रत्येक निरीक्षक मोटर परिवहन, उप निरीक्षक मोटर परिवहन, मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन, मुख्य आरक्षी चालक एवं आरक्षी चालक का प्रतिवर्ष स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा। स्वास्थ्य परीक्षण जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सुसंगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- वार्षिक शस्त्र चालन, प्रशिक्षण एवं फायरिंग अभ्यास** 24. प्रत्येक आरक्षी चालक, मुख्य आरक्षी चालक, मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन, उप निरीक्षक मोटर परिवहन एवं निरीक्षक मोटर परिवहन, **विभागाध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निर्धारित वार्षिक शस्त्र चालन एवं फायरिंग अभ्यास** करेगा।
- व्यावृत्ति एवं अध्यारोही प्रभाव** 25. (1) राज्य सरकार द्वारा बनाई गई किसी अन्य नियमावली या जारी किये गये शासनादेश या प्रशासनिक अनुदेशों में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी, इस नियमावली के उपबन्ध प्रभावी होंगे।
- (2) चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि से संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये शासनादेश विखण्डित हो जायेंगे।
- (3) ऐसे विखण्डन के होते हुये भी, प्रचलित नियमावली, शासनादेशों या प्रशासनिक अनुदेशों, जो इस नियमावली से असंगत न हो, के अधीन चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता निर्धारण और स्थायीकरण आदि की प्रसुविधा इस नियमावली के अधीन स्वीकृत की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव

परिशिष्ट

विभागीय परीक्षा के माध्यम से मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद पर चयन की प्रक्रिया

(नियम-10 देखें)

1-विभागीय परीक्षा दो चरणों में होगी :-

(क) मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद हेतु पात्र अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह परीक्षा 70 अंकों की होगी और इस परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों को अन्तिम परिणाम में सम्मिलित किया जायेगा। इस परीक्षा का पाठ्यक्रम तकनीकी सेवायें द्वारा विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड को उपलब्ध कराया जायेगा। इस पाठ्यक्रम का उल्लेख इस परीक्षा हेतु बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति में किया जायेगा। बोर्ड द्वारा प्रश्न-पत्र का प्रारूप तैयार किया जायेगा। इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थी अगले चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे।

(ख) लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से बोर्ड द्वारा आयोजित व्यावहारिक तकनीकी ज्ञान परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। यह परीक्षा 50 अंकों की होगी और इस परीक्षा में सफल होने के लिए न्यूनतम 25 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह परीक्षा अर्हकारी प्रकृति की होगी और प्राप्त किये गये अंक अन्तिम परिणाम में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे। इस परीक्षा का पाठ्यक्रम तकनीकी सेवायें द्वारा विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड को उपलब्ध कराया जायेगा। इस पाठ्यक्रम का उल्लेख इस परीक्षा हेतु बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति में किया जायेगा।

2-सेवाभिलेख

विभागीय परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के सेवाभिलेखों का मूल्यांकन कुल 30 अंको का होगा जिसका निर्धारण निम्ननुसार होगा :-

(क)	सेवा अवधि	10 अंक
(ख)	वार्षिक अभ्युक्ति	10 अंक
(ग)	पुरस्कार	05 अंक
(घ)	पदक	05 अंक

विभिन्न मदों में अंक आवंटन के मापदण्ड :-

(एक)	सेवा अवधि के अंक	अधिकतम 10 अंक आरक्षी चालक के रूप में पूर्ण की गई प्रत्येक 01 वर्ष की सेवा के लिये 01 अंक										
(दो)	वार्षिक मूल्यांकन पर अंक	विगत 05 वर्ष के वार्षिक मूल्यांकन पर कुल अधिकतम 10 अंक निम्नानुसार दिये जायेंगे :-										
		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 85%;">1-प्रत्येक आउटस्टैंडिंग/उत्कृष्ट/सर्वोच्च या सर्वोत्कृष्ट के लिए</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">2.0 अंक</td> </tr> <tr> <td>2-प्रत्येक वेरीगुड/अतिउत्तम/एक्सीलेन्ट के लिए</td> <td style="text-align: right;">1.5 अंक</td> </tr> <tr> <td>3-प्रत्येक गुड/उत्तम/बहुत अच्छा के लिए</td> <td style="text-align: right;">1.0 अंक</td> </tr> <tr> <td>4-प्रत्येक संतोषजनक/अच्छा अथवा औसत के लिए</td> <td style="text-align: right;">0.5 अंक</td> </tr> <tr> <td>5-प्रत्येक खराब/असंतोषजनक के लिए</td> <td style="text-align: right;">0.0 अंक</td> </tr> </table>	1-प्रत्येक आउटस्टैंडिंग/उत्कृष्ट/सर्वोच्च या सर्वोत्कृष्ट के लिए	2.0 अंक	2-प्रत्येक वेरीगुड/अतिउत्तम/एक्सीलेन्ट के लिए	1.5 अंक	3-प्रत्येक गुड/उत्तम/बहुत अच्छा के लिए	1.0 अंक	4-प्रत्येक संतोषजनक/अच्छा अथवा औसत के लिए	0.5 अंक	5-प्रत्येक खराब/असंतोषजनक के लिए	0.0 अंक
1-प्रत्येक आउटस्टैंडिंग/उत्कृष्ट/सर्वोच्च या सर्वोत्कृष्ट के लिए	2.0 अंक											
2-प्रत्येक वेरीगुड/अतिउत्तम/एक्सीलेन्ट के लिए	1.5 अंक											
3-प्रत्येक गुड/उत्तम/बहुत अच्छा के लिए	1.0 अंक											
4-प्रत्येक संतोषजनक/अच्छा अथवा औसत के लिए	0.5 अंक											
5-प्रत्येक खराब/असंतोषजनक के लिए	0.0 अंक											
		टिप्पणी:- जहाँ उपरोक्त के अतिरिक्त शब्दावली में ग्रेडिंग हो अथवा ग्रेडिंग न हो वहाँ सम्पूर्ण प्रविष्टि पर विचार किया जाना चाहिए और तदनुसार अंक प्रदान किये जा सकते हैं।										

(तीन)	पुरस्कार और सुप्रविष्टि पर अंक	अधिकतम 05 अंक प्रत्येक नकद पुरस्कार/उत्तम प्रविष्टि पर—0.5 अंक
(चार)	पदक/सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह के लिये अंक	अधिकतम 05 अंक 1—महामहिम भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक/वीरता पदक के लिए—05 अंक 2—महामहिम राज्यपाल/मा0मुख्यमंत्री द्वारा पुलिस पदक/वीरता पदक के लिए—03 अंक 3—पुलिस महानिदेशक द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय सेवाओं के लिये सम्मान चिन्ह के लिए—02 अंक

सेवाभिलेख में दण्डों के ऋणात्मक अंक का मापदण्ड :-

ऋणात्मक अंक कटौती की अधिकतम सीमा— 10 अंक होगी।		
(एक)	दीर्घ दण्ड, नियम—14(1)	प्रत्येक दीर्घ दण्ड के लिये 03 अंक
(दो)	लघु दण्ड, नियम—14(2)	प्रत्येक लघु दण्ड के लिये 02 अंक
(तीन)	छोटे दण्ड	प्रत्येक छोटे दण्ड के लिये 0.5 अंक

3- अन्तिम चयन सूची -

बोर्ड द्वारा विभागीय परीक्षा एवं सेवाभिलेख में प्राप्त अंकों के आधार पर मुख्य आरक्षी मोटर परिवहन के पद हेतु पात्र व्यक्तियों की योग्यता सूची तैयार की जायेगी। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होंगे तो उनकी योग्यता प्रथमतः आरक्षी चालक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं तत्पश्चात उनकी जन्मतिथि के अनुसार निर्धारित की जायेगी। यदि नियुक्ति की तिथि व जन्मतिथि भी समान होती है तो हाई स्कूल के प्रमाण पत्र में उल्लिखित अग्रेजी वर्णमाला में नाम के क्रम के अनुसार उनका योग्यताक्रम निर्धारित किया जायेगा।

इस प्रकार तैयार की गयी सूची बोर्ड द्वारा विभागाध्यक्ष को उपलब्ध करायी जायेगी। उसके अनुमोदनोपरान्त उक्त सूची बोर्ड द्वारा वेबसाइट/सूचना पट्ट पर प्रकाशित की जायेगी।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.1447/Chh-pu-2-15-1100(2)/2015 dated August 14, 2015

NOTIFICATION

Miscellaneous

No.1447/Chh-pu-2-15-1100(2)/2015

Lucknow: Dated: August 14, 2015

In exercise of the powers under sub-section (2) of section 46 read with section 2 of the Police Act, 1861 (Act no. 5 of 1861) and all other powers enabling him in this behalf and in supersession of all existing Government Orders issued in this behalf, the Governor is pleased to make the following rules with a view to regulating the selection, promotion, training, appointment, determination of seniority and confirmation etc. of constable working in the Transport units as Constable Driver, Head Constable Driver, Head Constable Motor Transport, Sub-Inspector Motor Transport and Inspector Motor Transport of Uttar Pradesh Police Force.

The Uttar Pradesh Police Motor Transport Unit

Subordinate Officers Service Rules, 2015

PART-I - GENERAL

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| Short title and commencement | 1 | (1) These Rules may be called the Uttar Pradesh Police Motor Transport Unit Subordinate Officers Service Rules, 2015 |
| | | (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette. |
| Status of the | 2 | The Uttar Pradesh Police Motor Transport Unit Subordinate Service |

- Service** comprises Group 'C' posts as described below in clause (a) of rule-3.
- Definitions** 3 In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context ;
- (a) **“Appointing Authority”** means the Superintendent of Police concerned in respect of Constable Driver, Head Constable Driver and Head Constable Motor Transport and the Deputy Inspector General of Police in respect of Sub Inspector Motor Transport and Inspector Motor Transport.
 - (b) **“Board”** means the Uttar Pradesh Police Services Recruitment and Promotion Board, established in accordance with Government Order No. 1256/6-Pu.10-2008-27(7)/08 dated December 2, 2008
 - (c) **“Constitution”** means the Constitution of India;
 - (d) **“Citizen of India”** means such person who is deemed to be a citizen of India under Part 2 of the Constitution;
 - (e) **“Governor”** means the Governor of Uttar Pradesh.
 - (f) **“Head of Department”** means the Director General of Police, Uttar Pradesh.
 - (g) **“Member of Service”** means a person substantively appointed under these rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the service.
 - (h) **“Police Headquarters”** means the Headquarters of the Director General of Police, Uttar Pradesh at Lucknow and Uttar Pradesh Police Headquarters at Allahabad.
 - (i) **“Service”** means the Uttar Pradesh Police Motor Transport Unit Subordinate Officers Service;
 - (j) **“Selection Committee”** means a selection committee constituted by the Board for the selection of candidates for the appointment to a post in the service.
 - (k) **“Substantive Appointment”** means an appointment, not being an ad-hoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the State Government.;

- (l) **“Technical Services”** means the Uttar Pradesh Police Technical Services Headquarters, Lucknow;
- (m) **“Year of Recruitment”** means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.

PART – II – CADRE

Cadre of Service

- 4 (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the State Government from time to time

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule(1), be as given below :-

Name of Posts	Sanctioned Allocation
Constable Driver	9126
Head Constable Driver	1098
Head Constable Motor Transport	283
Sub-Inspector Motor Transport	99
Inspector Motor Transport	09

Provided that,-

- (i) The Head of Department may re-determine the number of posts of various units within the overall sanctioned allocation,
- (ii) The Appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;
- (iii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART – III – ELIGIBILITY FOR RECRUITMENT

Source of Recruitment

- 5 Recruitment to the various categories of the posts in the service shall be made from the following sources:-

- (a) Constable Driver- Hundred Percent posts of Constable Drivers shall be filled from amongst substantively appointed Constable Civil Police, Constable Armed Police and Constable PAC who fulfil the following

eligibility conditions:-

- (1) Must not have attained the age more than 32 years on the first day of the year of recruitment.
 - (2) Must possess good health and eye sight must be 6/6 without spectacles or aid.
 - (3) Had not been reverted from the post of Constable Driver in the past.
 - (4) Must have compulsorily heavy and light vehicles driving license issued by the competent authority under Motor Vehicle Act, 1988.
 - (5) Must have completed three years of service as such on the first day of the year of recruitment (excluding the period utilized for training at the Training Center).
 - (6) During last five years-
 - (i) integrity is not withheld; or
 - (ii) no major punishment has been awarded; or
 - (iii) two or more minor punishments have not been awarded.
 - (7) During the last three years-
 - (i) no minor punishment has been awarded ; or
 - (ii) two or more petty punishments have not been awarded; or
 - (iii) no adverse entry has been awarded.
- (b) Head Constable Driver - Hundred percent vacancies of Head Constable Drivers shall be filled by promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst those Constable Driver who have completed five years of service as constable driver.
- (c) Head Constable Motor Transport- Hundred percent vacancies of Head constable Motor Transport shall be filled by the Board by selection from amongst constable Drivers and Head constable Drivers as per the procedure described in Appendix, who fulfil the following eligibilities :-
- (i) Must have completed five years of service on the first day of the recruitment year.
 - (ii) Not found disqualified in annual medical test.

- (iii) During last five years –
 - A- integrity is not withheld ; or
 - B-no major punishment has been awarded ; or
 - C-not two or more minor punishments have been awarded.
- (iv) During the last three years:–
 - A- no minor punishment has been awarded ; or
 - B- two or more petty punishments have not been awarded; or
 - C- no adverse entry has been awarded.
- (d) Sub-Inspector Motor Transport- Hundred percent vacancies of Sub-Inspector Motor Transport shall be filled by promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst Head Constable Motor Transport who have completed three years of service on the first day of year of recruitment, have not been disqualified in annual medical examination and have qualified Advanced Mechanic Course.
- (e) Inspector Motor Transport- Hundred percent vacancies of Inspector Motor Transport shall be filled by promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst Sub Inspector Motor Transport who have completed two years of service on the first day of year of recruitment and have not been disqualified in annual medical examination.

Part – IV – Procedure for Recruitment and Training

- | | | |
|--|---|---|
| Determination of vacancies and Constitution of selection committees | 6 | The appointing authority shall determine and intimate to the Police Headquarters the number of vacancies during the course of the year of recruitment. The Police Headquarters shall intimate the number of vacancies to the Board through the Head of Department. The board shall constitute the Selection Committees for the selection of candidates for the appointment to the respective posts. |
| Procedure for | 7 | <u>Selection of Constable Driver :</u> |

**selection of
Constable Driver**

The selection of Constable Drivers shall be done by the Board from amongst Constable Civil Police, Constable Armed Police and Constable PAC as per following procedure :-

(a) Applications :

The Technical Services, through departmental circular, shall invite applications from Constable Civil Police, Constable Armed Police and Constable PAC from all districts and units according to eligibilities mentioned in rule 5(a). This information shall also be published on the Police website.

(b) Call Letter :

The Technical Services shall cancel incorrect or incomplete application forms after scrutiny and inform concerned candidates through proper channel and the eligible candidates shall be informed for appearing in the test through officer-in-charge of their District, Unit and PAC battalions. The Technical Services shall provide the list of eligible candidates to the Board through the Head of Department.

(c) Driving Efficiency Test :

Eligible candidates will be required to appear before the Board for driving efficiency test. The driving efficiency test will be held as per procedure determined by the Head of Department.

(d) Final Select List :

The Board shall issue list of successful candidates in the driving efficiency test according to their merit. The seniority shall be determined as per following procedure ;

- (i) Inter-se-seniority of candidates of a cadre shall be determined according to seniority on their substantive post.
- (ii) Inter-se-seniority of candidates of different cadres shall be determined in the manner that the candidates of previous selection shall be considered senior to subsequent selection.
- (iii) If the date of appointment of two or more candidates on a substantive post in two or more different cadres is same, the seniority shall be determined in order of their date of birth. If the date of appointment and the date of birth are same, then seniority will be determined according

to first letter of their name in order of the English alphabets.

The seniority list prepared as above by the Board shall be published on the Police Website and displayed on the Notice Board after approval of the Head of Department.

(e) Medical Examination :

Qualifying the medical test is mandatory.

- | | | |
|--|-----------|--|
| Training | 8 | The candidates selected for the Driver Course shall be sent to training by the Police Headquarters in order of the seniority as determined by the Board. Such selected candidates shall be required to successfully undergo the training as prescribed by the Head of Department. The Technical Services shall prepare the list of successful candidates in training and provide the same to the Police Headquarters. The Police Headquarters shall issue orders for duty of constable driver to the candidates declared successful in the training. Those selected candidates declared unsuccessful in the training shall be sent back to their parent cadre. |
| Procedure for promotion to the post of Head Constable Driver | 9 | Hundred percent posts of Head Constable Driver shall be filled by promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit amongst constable drivers who fulfil eligibility conditions as mentioned in rule 5(b). Technical Services shall provide un-disputed seniority list of such constable drivers who fulfil the prescribed eligibility to the Board. The Board shall prepare and provide the list of candidates found fit for promotion to the Head of Department. The appointing authority shall issue promotion orders to the post of Head Constable Driver after approval of the Head of Department. |
| Procedure for promotion to the post of Head Constable Motor Transport | 10 | Hundred percent posts of Head Constable Motor Transport shall be filled by the Board through departmental examination from amongst such Constable Drivers and Head Constable Drivers who fulfill eligibility conditions as mentioned in rule 5(c).

<u>Procedure :</u>

The Technical Services shall provide the vacancies of Head Constable |

Motor Transport at State level to the Board.

The Board shall conduct the selection of Head constable Motor Transport in the following procedure :-

(a) Applications :

The Technical Services shall invite applications through circular from Constable Drivers and Head Constable Drivers of all districts, units and PAC battalions who fulfill eligibility conditions as mentioned in rule 5(c).

(b) Call Letter :

The Technical Services shall cancel incorrect or incomplete application forms after scrutiny and inform concerned candidates through proper channel and the eligible candidates shall be informed for appearing in the test through officer-in-charge of their District, Unit and PAC battalions. The Technical Services shall provide the list of eligible candidates to the Board through the Head of Department.

(c) Departmental Examination :

The eligible candidates shall be required to appear in a departmental examination as per procedure prescribed in Appendix.

(d) Service Records :

Marks on the basis of assessment of service records shall be awarded by the Board as prescribed in Appendix.

(e) Final Select List :-

The Board shall prepare the select list in order of merit as prescribed in Appendix.

(f) Medical Examination :

Qualifying the medical examination is mandatory.

Training

- 11** The merit list of selected candidates for Head Constable Motor Transport course shall be provided by the Board to the Head of Department. Selected candidates shall be required to successfully undergo the training as determined by the Head of Department and Advance Mechanic Course (if not done previously). Technical Services shall impart training to the selected candidates and forward the list of candidates successful in training to the Police Headquarters. The Police Headquarters shall issue orders for duty as Head Constable Motor Transport to the candidates declared successful in the training. Those selected candidates declared unsuccessful in the training shall be sent

back to their previous post.

Procedure for promotion to the post of Sub-Inspectors Motor Transport **12** Hundred percent posts of Sub Inspector Motor Transport shall be filled by promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst Head Constables Motor Transport who fulfil eligibility conditions as mentioned in rule 5(d). The Technical Services shall provide undisputed seniority list of such Head Constable Motor Transport to the Board. The Board shall forward the list of candidates found fit for promotion to the Head of Department. Deputy Inspector General of Police (Establishment) shall issue the final order for promotion to the post of Sub Inspector Motor Transport after approval by the Head of Department.

Procedure for promotion to the post of Inspector Motor Transport **13** Hundred percent posts of Inspector Motor Transport shall be filled by promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst Sub Inspectors Motor Transport who fulfil eligibility conditions as mentioned in rule 5(e). The Technical Services shall provide undisputed seniority list of such Sub Inspector Motor Transport to the Board. The Board shall provide the list of candidates found fit for promotion to the Head of Department. Deputy Inspector General of Police (Establishment) shall issue the final order for promotion to the post of Inspector Motor Transport after approval by the Head of Department.

PART-V – TRAINING, PROBATION, CONFIRMATION, SENIORITY AND REPATRIATION

Training **14** During the probation period, the probationer shall be required to undergo training as determined by the Head of Department.

Such Constable Drivers and Head Constable Drivers who have not passed Advance Mechanic Course, shall mandatory be made to complete the Advance Mechanic Course within 06 years from the date of appointment as Constable Drivers in order of seniority. They shall be sent in order of their seniority for the said course held twice a year. The Technical Services shall ensure to conduct this course.

Probation **15 (1)** A person on substantive appointment to any post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which period is to be extended.

Provided that, in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances, beyond two years.

- (3) If it appears to the appointing authority at any time, during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise fails to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.
- (4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.
- (5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity on a post included in the cadre or any equivalent or higher post to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

- 16** (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if ; -
- (a) he has successfully undergone the prescribed training ;
 - (b) his work and conduct is reported to be satisfactory ; and
 - (c) his integrity is certified.
- (2) Where, in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, confirmation is not necessary, the order under sub rule (3) of rule 5 of the said rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.

Seniority

- 17** The seniority of persons substantively appointed to a post in the service shall be determined in accordance with the Uttar Pradesh Government Servant Seniority Rules, 1991 as amended from time to time with the restriction that the person
- appointed through previous selection shall be senior to the person appointed in subsequent selection. The inter-se-seniority of persons of a selection shall be determined according to the select list issued by the

Board.

The seniority of Head Constable Motor Transport in a selection shall be determined on the basis of select list issued by the Board. But the Head Constable Motor Transport appointed through previous selection shall be senior to Head Constable Motor Transport appointed in subsequent selection.

If no such list is available for any recruitment to any post then the seniority of persons appointed to that post in that recruitment shall be determined on the basis of date of joining the said post. If the date of joining is the same then on the basis of date of birth. In case both the abovementioned dates are the same then on the basis of order in which their names mentioned in the High School Certificate appear when arranged alphabetically in English.

**Repatriation of 18
Constable Driver**

A person posted as Constable Driver, found unfit for duty of Motor Transport on the ground of health, physical disability and cancellation of his driving license, the appointing authority may after approval by the Inspector General of Police (Establishment) repatriate him to his parent cadre . The person so reverted shall be adjusted according to his seniority in the parent cadre. This repatriation shall not affect the departmental or criminal proceeding initiated against him.

PART-VI - PAY, ALLOWANCES ETC.

Scales of Pay/ Allowances	19	The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the State Government from time to time.			
		The scales of pay at the time of coming into force of these rules are as follows:			
		Sl No	Rank	Basic Pay	Grade Pay
		1	Inspector Motor Transport	9300—34800	4600
		2	Sub-Inspector Motor Transport	9300—34800	4200

			3	Head Constable Motor Transport	5200—20200	2400		
			4	Head Constable Driver	5200—20200	2400		
			5	Constable Driver	5200—20200	2000		
			3. In addition to above the members of service shall be entitled for allowances sanctioned by the State Government from time to time.					
Canvassing	20		No recommendation, either written or oral, other than those required under the rules applicable to a post in the service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.					

PART -VII - MISCELLANEOUS PROVISIONS

Regulation of other matters	21	In regard to the matters not specifically covered by these rules persons appointed to the service shall be subject to the various rules, regulations and orders made under Police Act.
Relaxation from the condition of service	22	Where the State Government is satisfied that the operation of any rule, regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in any rule applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the cases in just and equitable manner.
Annual Medical Examination	23	Every Inspector Motor Transport, Sub Inspector Motor Transport, Head Constable Motor Transport, Head Constable Driver and Constable driver shall compulsorily be required to undergo annual medical examination. The medical examination shall be conducted by the Chief Medical Officer of the district according to relevant rules.
Annual Arms training and firing practice	24	Every Constable driver, Head constable driver, Head Constable Motor Transport, Sub-Inspector Motor Transport and Inspector Motor Transport shall undergo arms training and annual firing practice as prescribed by Head of Department from time to time.
Savings and overriding effect	25	(1) The provisions of these rules shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other rule, Government

Order or Administrative instructions, made or issued by the State Government.

- (2) The orders of the Government issued from time to time with regard to matters connected with or incidental to the selection, promotion, training, appointment, determination of seniority and confirmation etc. of the members of service in these rules shall stand rescinded.
- (3) Notwithstanding such rescission, the benefit of the selection, promotion, training, appointment, determination of seniority and confirmation etc., under the prevalent rules, Government Orders or Administrative instructions not inconsistent with these rules shall be deemed to have been granted under these rules.

By Order,

(Debasish Panda)

Principal Secretary

APPENDIX

Procedure for selection to the post of Head Constable Motor Transport through departmental examination

(see rule 10)

(1) The departmental examination shall be conducted in two stages :-

(A) The candidates eligible for the post of Head Constable Motor Transport shall be required to appear in a written test. The written test will be of 70 marks and minimum 35 marks will be required to qualify this test. The marks obtained in this test shall be included in the final result. The syllabus for this test after approval of the Head of Department shall be provided by Technical Services to the Board. The syllabus for this test shall be mentioned in the notification issued by the Board. The format of question paper shall be prepared by the Board. The candidate qualifying this test shall appear in the next stage of examination.

(B) Candidates successful in the written test shall be required to appear in professional technical knowledge test to be conducted by the Board. This test will be of 50 marks and minimum 25 marks will be required to qualify this test. This test will be of qualifying nature and marks obtained will not be counted in the final result. The syllabus for this test after approval of the Head of Department shall be provided by Technical Services to the Board. The syllabus for this test shall be mentioned in the notification issued by the Board.

(2) **Service record** : The evaluation of service record of candidates successful in the departmental examination will be of **30** marks which shall be determined in the following manner :-

(a) Service period	10 marks
(b) Yearly remarks	10 marks
(c) Rewards	05 marks
(d) Medal	05 marks

Criteria for allotment of marks in different heads :-

(i)	Marks of service period	Maximum 10 marks 01 mark each for 01 year service as Constable Driver.	
(ii)	Marks for annual assessment	Maximum 10 marks will be given for annual assessment of last 05 years in the following manner :-	
		1. For each Outstanding/Utkrist/Sarvoch or Sarvotkrist	2.0 marks
		2. For each Very Good/Ati-Uttam/Excellent	1.5 marks
		3. For each Good/Uttam/Bahut Achchha	1.0 mark
		4. For each Satisfactory/Achchha or Average	0.5 marks
		5. For each Kharab/Unsatisfactory	0.0 marks
		Note : Where other than the above terminology is used in grading or there is no grading in annual remarks, in those cases, all entries should be considered and marks may be awarded accordingly.	
(iii)	Marks for Rewards and Good Entries	<u>Maximum 05 marks</u> for each Cash Reward/Good Entry	0.5 marks
(iv)	Marks for Medal/Sarhniya Sewa Samman Chinh	<u>Maximum 05 marks</u>	
		1. For Police Medal/Bravery Medal by Hon'ble The President of India	05 marks
		2. For Police Medal/Bravery Medal by Hon'ble The Governor/ Chief Minister	03 marks
		3. For Utkrist/Sarhniya Sewa Samman Chinh by the Director General of police	02 marks

CRITERIA FOR MINUS MARKS FOR PUNISHMENTS IN SERVICE RECORDS

	Maximum limit for deduction - 10 marks		
(i)	Major punishment rule 14(1)	For each major punishment	03 marks
(ii)	Minor Punishment rule 14(2)	For each minor punishment	02 marks
(iii)	Petty Punishment	For each Petty punishment	0.5 marks

(3.)- Final Selection List:

Merit list of eligible candidates for the post of Head Constable Motor Transport shall be prepared by the Board on the basis of total marks obtained in the departmental examination and service records. If two or more candidates obtain equal marks then their merit will be decided firstly on the basis of date of joining as constable driver and thereafter on the basis of date of birth. If the date of joining and date of birth is same then their merit will be decided according to the order in which their name as mentioned in High School Certificate is arranged alphabetically in English.

The list so prepared shall be provided by the Board to the Head of Department and after his approval the said list shall be published on the Police Website/Notice Board.
